उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 07.05.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 07.05.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 07.05.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

ट्रांसजेंडर महिला के साथ मारपीट, यौन उत्पीडन एवं जानलेवा हमला करने वाले 04 नफर अभियुक्तों को जनपदीय एसओजी एवं थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार-

दिनांक- 05/06.05.2024 को थाना कोतवाली नगर महोबा क्षेत्रअन्तर्गत एक ट्रांसजेंडर महिला जो थाना कोतवाली नगर महोबा क्षेत्रअन्तर्गत लौड़ी तिगैला के पास अपनी दुकान में मौजूद थी, इसी दौरान 04 लडके दुकान में आये और इनसे वाद विवाद हुआ जिस पर लडको द्वारा इनके साथ मारपीट, यौन उत्पीडन एवं जानलेवा हमला कर घटना कारित की गयी, प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर महोबा में मु.अ.सं. 207/25 धारा 115(2)/110/140(3)/75/76/126(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लिया गया जिसके क्रम में घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय एसओजी एवं थाना कोतवाली नगर महोबा की संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया।

गठित संयुक्त पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान घटना से सम्बन्धित 04 नफर वाँछित अभियुक्तगण क्रमशः 1.अनूप कुमार पुत्र रामबहादुर राजपूत उम्र 28 वर्ष 2. सचिन राजपूत पुत्र शत्रुघन उम्र 22 वर्ष,3. अनुज कुमार पुत्र रामबाबू राजपूत उम्र 19 वर्ष निवासीगण ग्राम छिबौली थाना जरिया जिला हमीरपुर 4.अजय कुमार पुत्र गुमान सिंह राजपूत उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम औता टोला थाना राठ जिला हमीरपुर को थानाक्षेत्र के काशीराम कालोनी बिच्छू पहाडिया रोड थाना कोतवाली नगर महोबा से गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया, इस दौरान अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार को भी बरामद किया गया है जिसको एमवी एक्ट के तहत सीज की कार्यवाही की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. अनूप कुमार पुत्र रामबहादुर राजपूत उम्र 28 वर्ष
2. सचिन राजपूत पुत्र शत्रुघन उम्र 22 वर्ष
3. अनुज कुमार पुत्र रामबाबू राजपूत उम्र 19 वर्ष नि0गण ग्राम छिबौली थाना जरिया हमीरपुर
4. अजय कुमार पुत्र गुमान सिंह राजपूत उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम औता टोला थाना राठ जिला हमीरपुर

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीमः-

थाना कोतवाली नगर महोबा टीम-

1. प्र0नि0 थाना कोतवाली नगर श्री अर्जुन सिंह
2. उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह चौकी इन्चार्ज भटीपुरा थाना कोतवाली नगर महोबा
3.. हे0का0 अमित नागर 4. कां0 दीपेश कुमार 5. कां0 नरेन्द्र कुमार

जनपदीय एसओजी टीम-

1.उ0नि0 शिवप्रताप सिंह, प्रभारी स्वॉट टीम 2. उ0नि0 रवि कुमार सिंह, प्रभारी सर्विलांस टीम 3. कां0 दीपक वर्मा 4. कां0 रंजीत सिंह 5. कां0 आशीष बघेल 6. कां0 निर्भय सिंह 7. कां0 सत्यम सिंह

जिलाधिकारी महोबा एवं पुलिस अधीक्षक महोबा की मौजूदगी में पुलिस एवं प्रशासनिक टीमों द्वारा नागरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने एवम् जनमानस को जागरूक करने हेतु कराया गया मॉक ड्रिल-

भारत सरकार, उ.प्र. शासन एवं पुलिस महानिदेशक उ.प्र. द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 07.05.2025 को जनपद महोबा के वीरभूमि डिग्री कालेज महोबा में जिलाधिकारी महोबा, श्रीमती गजल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह की मौजूदगी में जनपदीय पुलिस एवं प्रशासनिक टीमों द्वारा सुरक्षा संबंधी एडवाइजरी जारी करते हुए संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल के जरिए नागरिकों को युद्ध/आपात स्थिति के मद्देनजर नागरिक सुरक्षा सुदृढ़ करने हेतु बचाव का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशासन ने आपात स्थिति से निपटने के लिए वृहद स्तर पर विभिन्न आयामों को सम्मिलित करते हुए मॉक ड्रिल किया गया। जिसमें सिविल पुलिस, PAC, पीआरडी, एनसीसी, एनएसएस, होमगार्ड, फायर सर्विस, आपदा मित्र, भूतपूर्व सैनिक, विद्युत विभाग, चिकित्सकीय टीमों सहित कई संगठन और स्वयंसेवी समूहों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

यह मॉक ड्रिल युद्धकालीन/अन्य आपात परिस्थिति में नागरिकों को सुरक्षा देने, स्वयं को सुरक्षित रखने, प्राथमिक चिकित्सा देने, हवाई हमले से अलर्ट करने और बिजली आपूर्ति को तत्काल रोककर ब्लैकआउट करने जैसी रणनीतियों के बारे में विस्तार से बताया गया एवम् उसके उपरांत उसका सम्यक तरीके से अभ्यास भी कराया गया। आपात स्थिति में सायरन बजने पर क्या करना है और क्या नहीं करना है(Do's and Don'ts) की जानकारी दी गई।

क्या करें-

1.स्थानीय प्रशासन, पुलिस या सिविल डिफेंस द्वारा दिये गए निर्देशों को ध्यान से सुनें और उनका कड़ाई से पालन करें।

2.हवाई हमले या युद्ध का सायरन बजते ही तुरन्त घर के अन्दर चले जाये, नजदीकी बंकर, सुरक्षित आश्रय या पक्के मकान के बेसमेंट, बाथरूम या सीढ़ियों के नीचे शरण लें।

3.रेडियो या आधिकारिक संचार चैनल सुनते रहें।

4.ब्लैकआउट का निर्देश मिले तो घर के बाहर की सभी लाइटें बंद कर दें। यदि कमरें के अन्दर लाईट जलाना आवश्यक है तो इस प्रकार जलाये कि प्रकाश किसी भी दशा में बाहर न जाने पाये।

5.अति महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, भीड़-भाड़ के स्थलों से दूरी बनाकर रखें ये सम्भावित टारगेट हो सकते है।

6.यदि आप सिविल डिफेंस, होमगार्ड, पीआरडी, एनसीसी, एनजीओ आदि से जुड़े है तो अपनी जिम्मेदारियों को समझे तथा पड़ोसियों व समुदाय के साथ मिलकर काम करें ताकि सभी लोग सुरक्षित रहें

7.पानी, प्राथमिक चिकित्सा किट, टॉर्च, रेडियो, मोबाइल चार्जर, पावर बैंक, सूखा भोजन और जरूरी दस्तावेज हमेशा पास में रखें।

8.खिड़कियों से दूर रहें, उन्हें ढक दें।

9.बच्चों, वृद्धों, दिव्यांगों और जानवरों की भी मदद करें उन्हे अपने साथ सुरक्षित रहने दें।

10.स्कूल या डे-केयर में पढ़ने वाले बच्चों को वही रहने दे

11.यदि खुले स्थल पर है तो जमीन पर लेट जाये और अपना सिर हाथ या किसी वस्तु से ढक लें।

12.हवाई हमले की स्थिति में शांत रहे, भयभीत न हो, सुरक्षित स्थान पर रहें।
13.प्रशासनिक एजेंसियों द्वारा बताये गये सुरक्षित स्थल व रास्तों की जानकारी रखें, जरूरत पड़ने पर शीघ्र वहां पहुंचे।
14.सभी नागरिक, छात्र आदि सिविल डिफेंस प्रशिक्षण में अवश्य भाग लें तथा आसपास के लोगों को भी प्रशिक्षण हेतु प्रेरित करें।
15.सभी नागरिक, छात्र आदि निकासी योजनाओं की तैयारी और अभ्यास का भी प्रशिक्षण प्राप्त करें।
16.सायरन की आवाज सुनते ही सड़क पर वाहन साइड में लगाकर हेड लाइट व इन्डीकेटर बन्द कर दें। गई।

क्या न करें-

1.प्रशासनिक एजेंसियों द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों को अनदेखा न करें।
2.खुले स्थान पर न जाये।
3.सोशल मीडिया या अनजान स्रोतों से मिलने वाली अफवाहों पर ध्यान न दें।
4.घर के बाहर प्रकाश न रहें।
5.महत्वपूर्ण व भीड़-भाड स्थलों पर जाने से बचें।
6.अपने दायित्वों/कर्तव्यों को अनदेखा न करें।
7.निर्दिष्ट वस्तुओं को अनदेखा न करें।
8.खिड़कियों को खुला न रखें।
9.किसी की भी उपेक्षा न करें।
10.जल्दवाजी (घबराहट) में बच्चों को स्कूल से लाने का प्रयास न करें।
11.खुले स्थान पर एक साथ खड़े न रहे।
12.घबराये नही तथा अफरा-तफरी से बचें।
13.असुरक्षित स्थल पर न रहें।
14.सिविल डिफेंस प्रशिक्षण के प्रति उदासीन न रहें।
15.निकलने के प्रशिक्षण से दूर न रहें।
16.वाहन चलाने से बचें।

ब्लैकआउट की स्थिति में कैसे स्थान बदले जाएं, किस दिशा में जाएं और किसे प्राथमिकता दी जाए। इन सभी पर विस्तृत प्रशिक्षण /अभ्यास किया गया । Black Out की स्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना है (Do's and Don'ts), के बारे में भी बताया गया।

क्या करें-

1.सभी लाइटें और बिजली के उपकरण तुरंत बंद करें घर, दुकान, वाहन, मोबाइल की फ्लैशलाइट आदि।
2.इनवर्टर व जनरेटर बंद करें ताकि बाहरी रोशनी समाप्त हो सके।
3.खिड़कियों व दरवाज़ों के परदे बंद करें ताकि रोशनी बाहर न दिखे।
4.वाहन चला रहे हों तो तुरंत किनारे लगाकर बंद कर दें, हेडलाइट और इंडिकेटर बंद रखें।
5.सभी सदस्यों को एक जगह सुरक्षित रखें- विशेष रुप से बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को।
6.रेडियो, मोबाइल या अन्य माध्यमों से सरकारी निर्देश सुनते रहें।
7.पड़ोसियों को भी सतर्क करें, विशेषकर अकेले रह रहे लोगों को।
8.जरूरी दवाइयाँ और टॉर्च आदि सामान पहले से तैयार रखें।

क्या न करें-

1.ब्लैकआउट के दौरान किसी भी प्रकार की रोशनी जलाना, मोमबत्ती, टॉर्च, लाइटर आदि।
2.बाहर निकलकर सड़क पर घूमना या शोर मचाना।
3.वाहन चालू रखना या उसकी लाइट जलाना।
4.अफवाहें फैलाना या भ्रामक जानकारी शेयर करना सोशल मीडिया पर भी नहीं।
5.बिना आवश्यक कारण के फोन कॉल करना आपात सेवाओं की लाइन व्यस्त न करें।
6.किसी भी संदिग्ध वस्तु को छूना या उठाना।
7.सामूहिक रूप से इकट्ठा होना या भीड़ लगाना।
8.सरकारी निर्देशों की अनदेखी करना।

छात्रों को भी इस मॉक ड्रिल में शामिल किया गया ताकि वह अपने संपर्क के व्यक्तियों को भी जागरूक कर सकें तथा आने वाली पीढ़ी को भी आपदा प्रबंधन का व्यावहारिक ज्ञान हो सके।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी रामप्रकाश, अपर पुलिस अधीक्षक वन्दना सिंह, समस्त क्षेत्राधिकारी, समस्त उपजिलाधिकारी, चिकित्साधिकारी महोबा एवं उनकी प्रशिक्षित टीम, प्रतिसार निरीक्षक सहित सम्बन्धित समस्त पुलिस एवं प्रशासनिक अधि0/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 07.05.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में संवेदनशील क्षेत्रों व महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये जनपदीय पुलिस प्रशासन सख्त।

"ऑपरेशन सिंदूर" के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश पुलिस को उत्तर प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और राज्य के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करने का निर्देश दिया गया। इन निर्देशों के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदीय पुलिस की समस्त इकाइयों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। विज्ञप्ति के अनुसार, प्रमुख कार्रवाई में सभी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा शामिल है और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को बढ़ाया और उन्नत किया जाना चाहिए। तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए उचित ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग के साथ आंतरिक सुरक्षा योजना की मॉक ड्रिल का पूर्वाभ्यास किया जाएगा।

पुलिस लाइन, कार्यालय और डिपो सहित सभी पुलिस बुनियादी ढांचे को सुरक्षित किया जाएगा और संसाधनों का ऑडिट किया जाएगा। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और प्रतिष्ठानों तक पहुंच नियंत्रण को कड़ा किया जाएगा। जनपदीय पुलिस अधिकारी सेना के काफिले, रेलवे पुलों और वायु सेना के लिए एटीएफ ईंधन की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए संबंधित एजेंसियों और इकाइयों के साथ समन्वय करेंगे। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती बढ़ाए जाने के साथ सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल हाई अलर्ट पर रहेगा।

इसी क्रम में संचार लाइनों, जल आपूर्ति लाइनों, बिजली सबस्टेशनों और थर्मल पावर प्लांटों सहित प्रमुख बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की जाएगी। तोड़फोड़ और सूचना लीक को रोकने के लिए खुफिया जानकारी एकत्र करने में तेजी लाई जाएगी। गलत सूचनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 24/7 निगरानी की जाएगी। रणनीतिक स्थानों पर 112 वाहनों को तैनात करने के साथ जिला नियंत्रण कक्ष हाई अलर्ट पर रहेंगे।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 07.05.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय ने जेल में बिताई गई कारावास की अवधि व 03 हजार रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत श्री प्रबल प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार अभियुक्त को सम्बन्धित अभियोग में दोषसिद्ध घोषित करते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 03 हजार रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना महोबकंठ में पंजीकृत मु0अ0सं0 41/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बंधित 01 नफर अभियुक्त रोशन पटेल पुत्र द्वारिका प्रसाद उम्र 35 वर्ष निवासी भडरा थाना मउरानीपुर जनपद झांसी को जेल में बिताई गई अवधि व 03 हजार रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विनय कुमार वर्मा
अभियोजन अधिकारी

कां. शमीम खां
पैरोकार- थाना महोबकंठ

@MahobaPolice